रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 2004/वैशाख 3, 1926
No. 80] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 2004/VAISAKHA 3, 1926

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2004

आ.अ. 97(अ).—यतः, श्री नरेन्द्र प्रताप मिश्रा, 2-बी, प्रिन्स रहीमुद्दीन लेन, कोलकाता-700033, जिन्होंने 130-भाटपाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 2001 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन लड़ा था, उन्हें आयोग के आदेश सं. 76/प.बं.-वि.स./2001, दिनांक 7 नवम्बर, 2001 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अन्तर्गत निरर्हित किया गया था क्योंकि वह उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे थे, और

यतः, उक्त श्री नरेन्द्र प्रताप मिश्रा ने उक्त निरर्हता को हटाने के लिए उसके अधीन कारण प्रस्तुत करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष याचिका दायर की है; और

यतः, उक्त याचिका पर विचार करने के बाद तथा तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर, निर्वाचन आयोग ने मामले के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 9 अप्रैल, 2004 के अपने आदेश द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत श्री नरेन्द्र प्रताप मिश्रा पर अध्यारोपित निरर्हता हटा ली गई थी।

अतः अब, आयोग के आदेश सं. 76/प.बं.-वि.स./2001, दिनांक 7 नवम्बर, 2001 में क्र.सं. 8 पर दर्शाया गया श्री नरेन्द्र प्रताप मिश्रा का नाम दिनांक 10-4-2004 से उक्त आदेश से हटाया गया माना जाएगा।

[सं. प.बं.-वि.स./130/2001]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th April, 2004

O.N. 97(E).—Whereas, Shri Narendra Pratap Mishra, 2-B, Prince Rahimuddin Lane, Calcutta-700033, who contested the General Election to the West Bengal Legislative Assembly held in 2001 from 130-Bhatpara Assembly Constituency was disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) *vide* Commission's Order No. 76/WB-LA/2001, dated the 7th November, 2001 for his failure to lodge any accounts of his election expenses as required by the said Act and Rules and Orders made thereunder; and

Whereas, the said Shri Narendra Pratap Mishra has submitted a petition before the Election Commission of India for the removal of the said disqualification giving reasons thereunder; and

Whereas, after considering the said petition and on the basis of the facts and circumstances relating to the case, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 has *vide* its order dated 9th April, 2004 removed the disqualification imposed under Section 10A of the said Act, on Shri Narendra Pratap Mishra.

Now, therefore, the name of Shri Narendra Pratap Mishra appearing at Serial No. 8 in Commission's Order No. 76/WB-LA/2001, dated the 7th November, 2001 shall be deemed to have been omitted from the said order from 10-4-2004.

[No. WB-LA/130/2001]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2004

आ.अ. 98(अ).—यतः, श्री आनिन्दया गोपाल मित्रा, 60-धीरेन धर सरानी, कोलकाता, जिन्होंने 87-हबरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 2001 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन लड़ा था, उन्हें आयोग के आदेश सं. 76/प.बं.-वि.स./2001, दिनांक 8 अप्रैल, 2002 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अंतर्गत निरर्हित किया गया था क्योंकि वह उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे थे, और

यतः, उक्त श्री आनिन्दया गोपाल मित्रा, ने उक्त निरर्हता को हटाने के लिए उसके अधीन कारण प्रस्तुत करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष याचिका दायर की है; और

यतः, उक्त याचिका पर विचार करने के बाद तथा तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर, निर्वाचन आयोग ने मामले के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21 अप्रैल, 2004 के अपने आदेश द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत श्री आनिन्दया गोपल मित्रा, पर अध्यारोपित निरर्हता हटा ली गई थी।

अतः अब, आयोग के आदेश सं. 76/प.बं.-वि.स./2001, दिनांक 8 अप्रैल, 2002 में क्र.सं. 2 पर दर्शाया गया श्री आनिन्दया गोपाल मित्रा का नाम दिनांक 21-4-2004 से उक्त आदेश से हटाया गया माना जाएगा।

[सं. प.बं.-वि.स./87/2001]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 21st April, 2004

O.N. 98(E).—Whereas, Shri Anindya Gopal Mitra, 60-Dhiren Dhar Sarani, Kolkata, who contested the General Election to the West Bengal Legislative Assembly held in 2001 from 87-Habra Assembly Constituency was disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) *vide* Commission's Order No. 76/WB-LA/2001, dated the 8th April, 2002 for his failure to lodge any accounts of his election expenses as required by the said Act and Rules and Orders made thereunder; and

Whereas, the said Shri Anindya Gopal Mitra has submitted a petition before the Election Commission of India for the removal of the said disqulification giving reasons thereunder; and

Whereas, after considering the said petition and on the basis of the facts and circumstances relating to the case, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 has *vide* its order dated 21st April, 2004 removed the disqualification imposed under Section 10A of the said Act, on Shri Anindya Gopal Mitra.

Now, therefore, the name of Shri Anindya Gopal Mitra appearing at Serial No. 2 in Commission's Order No. 76/WB-LA/2001, dated the 8th April, 2002 shall be deemed to have been omitted from the said order from 21-4-2004.

[No. WB-LA/87/2001]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.